भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4213

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पीडीएस के अंतर्गत जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना

4213. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार सूखे अथवा बाढ़ जैसे जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए खाद्य वितरण प्रणाली को किस प्रकार तैयार कर रही है; और
(ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों और राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू/एसएयू) सहित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) ने आईसीएआर के तत्वाधान में वर्ष 2014-2024 के दौरान अनाज, तिलहन, दलहन, रेशेदार फसलें, चारा फसलें, गन्ना और अन्य फसलों सहित 2900 स्थान-विशिष्ट उन्नत क्षेत्र फसल किस्में/संकर विकसित किए हैं। इन 2900 किस्मों में से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं। इनमें से 537 किस्मों को सटीक फेनोटाइपिंग उपकरणों का उपयोग करके विशेष रूप से चरम जलवायु के लिए विकसित किया गया है।

मिलेट्स (श्री अन्न) गर्म और सूखे दोनों वातावरणों में लचीला और जलवायु-अनुकूल है। मिलेट्स (श्री अन्न) कृषि और आहार विविधता बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत मिलेट्स (श्री अन्न) खरीदने और वितरित करने का अनुरोध किया गया है। गेहूं और चावल के अलावा, मिलेट्स (श्री अन्न) भी पीडीएस का भाग है। पीडीएस के तहत वितरण के लिए मिलेट्स

(श्री अन्न) की स्वीकृत मात्रा का आबंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा गेहूं/चावल की समान मात्रा के बदले किया जाता है। दिनांक 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मिलेट्स (श्री अन्न) नि:शुल्क दिया जा रहा है। डीएफपीडी और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के क्षेत्रीय कार्यालयों ने मिलेट्स (श्री अन्न) जागरूकता कार्यक्रम/प्रतियोगिता/सेमिनार आदि का आयोजन किया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स (श्री अन्न) खरीदने और स्थानीय उपभोग प्राथमिकताओं के अनुसार और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित करने के लिए एक सलाह जारी की गई है।

इसके अलावा, डीएफपीडी प्राकृतिक आपदाओं, कानून और व्यवस्था की स्थिति और त्योहारों के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए अनुरोध के आधार पर उन्हें अतिरिक्त खाद्यान्न (नियमित आवंटन के अतिरिक्त) आबंटित करता है।

****